न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

अशोक कुमार गुप्ता वगैरह ....बनाम........ गोवर्धन महुवा वगैरह

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
08-03-18	अभिलेख सं0–एम......20....../2018 धारा–107 द0प्र0सं0 थाना प्रभारी बुण्डू......... के अप्राथमिकी सं0–03/18 दिनांक–23/02/18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि खेवट नं० 04 खाता नं० 104 प्लॉट नं० 1184, 1186, 1187 कुल रकबा क्रमशः 04 डी० 2 डी० रकबा 32 डी० पर प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत अवैध अवैध निर्माण कार्य को लेकर उभय पक्ष में विवाद है जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी। अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द0प्र0सं0 की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू0 का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय। अभिलेख तिथि 23-03-18 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित [signature] कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। [signature] 8/3/18 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।	
23-03-18	पीठासीन पदाधिकारी नगर पंचायत चुनाव कार्य में व्यस्त। दिनांक 09-04-18 को रखें।	

तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
16-11-18	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक 03-12-18 को रखें। (ह०) 16/11/18
03-12-18	अभिलेख उपस्थापित। पुनः नोटिस का तामिला अप्राप्त। उभय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक 17-12-18 को रखें। (ह०) 03/12/18
17-12-18	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। पुनः नोटिस का तामिला प्राप्त। उक्त वाद में उभय पक्ष लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। न्यायालय में उपस्थित होने हेतु उभय पक्ष को पुनः नोटिस निर्गत किया गया। किन्तु नोटिस का तामिला प्राप्त होने के बाद भी उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इससे प्रतीत होता है

सं० एवं	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तरीख सहित
	कि उभय पक्ष के वर्तमान में शान्ति भंग होने की कोई संभावना नहीं है और नहीं जाना प्रभारी / पु०नि० से उभय पक्ष में शान्ति भंग होने संबंधी कोई प्रतिवेदन न्यायालय मे प्राप्त है। अतः उक्त वाद में अभी आगे की कारवाई बन्द की जाती है। लेखापित एवं संशोधित	
	17/4/18 कार्यपालक दण्डाधिकारी बुण्डू (रांची) — 17/4/18 कार्यपालक दण्डाधिकारी बुण्डू (रांची)	

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2021.08.16 14:27:13 +05:30
Location: 192.168.43.107